

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 790]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2025 — अश्विन 15, शक 1947

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 अक्टूबर 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-01/2023/मबावि/50.— राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त संस्था को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/भारत शासन/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन पर 05 वर्षों हेतु स्थायी पंजीयन प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	शासकीय संस्था का नाम	बाल गृह का पता	बाल देखरेख संस्था की प्रकृति	वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति अनुसार क्षमता	पंजीयन क्रमांक
1.	बालोद	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 झालमला, धमतरी रोड, जिला-बालोद	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	01/BALOD/24-25
2.	बलौदाबाजार	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	पुराना कलेक्ट्रेट परिसर, कक्ष क्रमांक — 23, बलौदाबाजार	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	01/BB/24-25
3.	बलरामपुर	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	सिविल न्यायालय के बगल में, सखी वन स्टाप सेंटर परिसर, बलरामपुर	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	02/BLRPUR/24-25
4.	बेमेतरा	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	संयुक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय के पीछे, पुराना डाईट हॉस्टल भवन, कोबिया, बेमेतरा	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	01/BTM/24-25
5.	बीजापुर	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	जिला प्रशासन द्वारा संचालित बालगृह (बालिका), पता-गंगालूर रोड अटल आवास बीजापुर, जिला बीजापुर	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	05/BJPR/24-25

6.	धमतरी	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	पुरातत्व विभाग बिल्डिंग कलेक्ट्रेट कार्यालय के पीछे, धमतरी	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	02/DMTR/24-25
7.	गरियाबंद	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	पंजाब नेशनल बैंक के सामने वाली गली, शिवम कॉलेज गरियाबंद के बाजू में, गरियाबंद	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	01/GRBD/24-25
8.	गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गौरेला के बाजू में जिला—गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	01/GPM/24-25
9.	जांजगीर—चांपा	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	हेल्प एंड हेल्प्स समिति बालगृह (बालक), पुराना सिचाई कॉलोनी वार्ड नं. —19 मोहित नेत्रालय के पीछे, जांजगीर	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	03/JC/24-25
10.	कोण्डागांव	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	जिला अस्पताल परिसर, जिला—कोण्डागांव	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	03/KDGO/24-25
11.	कोरिया	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	चाईल्ड लाईन कार्यालय, समाज कल्याण विभाग के बगल में, मेन रोड बैकुंठपुर, जिला—कोरिया	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	05/KORIA/24-25
12.	मनेन्द्रगढ़—चिरमिरी—भरतपुर	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	आईएफसी गोदाम के पास चैनपुर मनेन्द्रगढ़ जिला—मनेन्द्रगढ़—चिरमिरी—भरतपुर	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	01/MCB/24-25
13.	मोहला—मानपुर—अम्बागढ़ चौकी	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	हाऊसिंग बोर्ड के सामने श्यामशाह महाविद्यालय के पीछे, मोहला जिला—मोहला—मानपुर—अम्बागढ़ चौकी	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	01/MMA/24-25
14.	मुंगेली	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	बालगृह बालक प्रांगण, जिला हॉस्पिटल रोड, मुंगेली	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	02/MUNG ELI/24-25
15.	नारायणपुर	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	क्वा. नं. 16 दीनदयाल आवास कालोनी चाईल्ड हेल्पलाईन कार्यालय के बाजू में, जिला—नारायणपुर	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	03/NRYNP/24-25
16.	सारंगढ़—बिलाईगढ़	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	अनुसूचित जाति बालक छात्रावास खेलभाठा मैदान सारंगढ़, जिला—सारंगढ़—बिलाईगढ़	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	01/SB/2024-25
17.	सक्ती	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	उपस्वास्थ्य केन्द्र परिसर, पोरथा, जिला—सक्ती	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	01/SAKTI/24-25
18.	सुकमा	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	बस स्टैंड घडी चौक के पास नया हाई स्कूल परिसर मिनी स्टेडियम ग्राउंड के सामने, जिला—सुकमा	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	02/SUKMA/24-25
19.	सूरजपुर	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	प्रथम तल एसडीएम कार्यालय मनेन्द्रगढ़ रोड, सूरजपुर, जिला—सूरजपुर	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	01/SRJ/24-25

1. यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से 05 वर्षों हेतु वैध होगा।
2. संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा किया जायेगा। संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी। संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा।
3. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनों/वैधानिक प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मनुअल/भारत शासन/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन करना अनिवार्य होगा।
5. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 अक्टूबर 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-01/2023/मबावि/50.— राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त संस्था को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मनुअल/भारत शासन/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन पर 05 वर्षों हेतु स्थायी पंजीयन करता है:-

क्र	जिला	शासकीय संस्था/ स्वैच्छिक संगठन का नाम	बाल गृह का पता	बाल देखरेख संस्था की प्रकृति	वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति अनुसार क्षमता	पंजीयन क्रमांक
1	महासमुन्द	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण	मौहारीभाठा, वार्ड क्र.23, बिजली कार्यालय के पास, जिला महासमुन्द (छ.ग)	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण	10	06/MSMD/25-26
2	बीजापुर	शासकीय बालगृह (बालिका)	गंगालूर रोड, अटल आवास कॉलोनी, जिला बीजापुर (छ.ग)	बालगृह (बालिका)	50	06/BJPR/25-26
3	बस्तर	शासकीय बालगृह (बालिका)	एम्स मेडिकल स्टोर के सामने, एक्सिस बैंक के निकट, धरमपुरा न.01, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग)	बालगृह (बालिका)	50	11/BSTR/25-26

1. यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से पाँच वर्षों हेतु वैध होगा।
2. संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा किया जायेगा। संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी। संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो।
3. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनों/वैधानिक प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मनुअल/भारत शासन/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन करना अनिवार्य होगा।

5. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, सचिव.